संख्या-17 /2020/693 /अड़तीस-7-2020-10नरेगा/2020टीसी-2

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 04 जून, 2020

विषयः- मनरेगा योजनान्तर्गत मास्टर सर्कुलर 2019-20 के अध्याय-17 के अन्तर्गत सी0एस0ओ0 को फैसिलिटेशन कार्य हेतु आबद्ध करने विषयक।

महोदय,

शासनादेश संख्या-610/38-7-2020- 10नरेगा/2020 दिनांक 22-05-2020 को अवक्रमित करते हुए यह निर्देश निर्गत किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन विषयक निर्गत दिशा-निर्देश (2019-20) के अध्याय-16 व 17(पृष्ठ-137-142) पर अंकित कार्यों के लिए सी0एस0ओ0 को लगाना अधिक उपयोगी तथा योजना के हित में होगा।

2- इस अनुक्रम में यह भी अवगत कराना है कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है, जिसमें मजदूरों की ओर से कार्य को हक के रुप में मांगा जाना चाहिए और एक्ट में प्राविधानित समय के अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उन्हें कार्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कार्य होने के उपरांत समय से मस्टर रोल अपलोड किया जाना चाहिए, ताकि नियत समय में मजदूरी का भुगतान हो सके। यह भी देखने में आ रहा है कि एक तरफ जहां मजदूरों की मांग होने के बावजूद सभी को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य पर नहीं लगाया जा रहा है । यह भी देखा जा रहा है कि कतिपय स्थानों पर कार्य की मांग के लिए 06 दिन का आवेदन लेने की बात ग्राम रोजगार सेवक द्वारा की जा रही है। इस तरह 100 दिन के काम करने के लिए 16 आवेदन 100 दिन के कार्य के लिए एक परिवार को देना होगा। यह उचित नहीं है।

3- उपर्युक्त के अनुक्रम में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश में श्रमिक समूहों में संगठित होकर योजना में सुधार के लिए कारगर तरीके से मांग उठा सकते हैं तथा साझा हितों के लिए सामूहिक कार्य कर सकते हैं। गाइड लाइन के अध्याय-17 में गुणवत्ता के आधार पर एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए नागरिक सामाजिक संगठन(सी0एस0ओ0) को योजना में शामिल करने के निर्देश दिये गये हैं। नागरिक सामाजिक संगठन(सी0एस0ओ0) को आबद्ध करने का प्रयोजन

अग्रलिखित है- जागरूकता फैलाना, साधन जुटाना, मजदूरी की मांग करने वाले व्यक्तियों की सहायता करना और इनकी क्षमताओं का मजबूत करना तथा कार्यान्वयन ढांचे और मजदूरी की मांग करने वाले व्यक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ताकि वे अपने अधिकार सुरक्षित कर सके, कार्य की मांग कर सके और कार्य के लिए समय पर भुगतान कर सके।

4-प्रारम्भ में राज्य सरकार ने निम्नलिखित 50 जनपदों में उक्त कार्यों के लिए सी0एस0ओ0 आबद्ध करने का निर्णय लिया है:-

पीलीभीत, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, उन्नाव, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, मीरजापुर, भदोही, सोनभद्र, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुरनगर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट एवं महोबा

4-प्रदेश के उक्त 50 जनपदों में एक-एक नागरिक सामाजिक संगठन(सी0एस0ओ0) को मनरेगा में आबद्ध किया जाय और प्रत्येक नागरिक सामाजिक संगठन(सी0एस0ओ0) को दो वाहन की अनुमन्यता (प्रति वाहन रू0 25000-प्रतिमाह कुल रू0 50000/-) एवं प्रति वाहन पर दो-दो कर्मी एवं एक इन्टर्न (कक्षा 10 व 12वीं पास) यानि कि कुल 05 व्यक्ति, जिन्हें रू0 8000/- प्रतिमाह (कुल रू0 40000/-) तथा शेष रू0 10000/- प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य करते हुए एक नागरिक सामाजिक संगठन(सी0एस0ओ0) को एक जनपद में प्रतिमाह रू0 100,000/- पर आबद्ध किया जा सकता है। आबद्ध नागरिक सामाजिक संगठन(सी0एस0ओ0) प्रत्येक दिन जनपद के कम से कम 08 से 10 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत चल रहे कार्यों का मौके पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा कार्यरत मजदूरों के साथ फोटोग्राफ्स राज्य मुख्यालय पर निर्धारित ई-मेल पर उपलब्ध करायेंगे। नागरिक सामाजिक संगठन (सी0एस0ओ0) द्वारा मजदूरों को समूह में गठित व प्रशिक्षित करने का कार्य भी किया जायेगा। इसके द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) एवं अन्य संबंधित व्यवस्थाओं को देखने के साथ इस पर मजदूरों में जागरूकता भी बढ़ायी जायेगी। यह आबद्धीकरण एक वर्ष के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार एक वर्ष और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। योजना अवधि में संबंधित नागरिक सामाजिक संगठन (सी0एस0ओ0) द्वारा जनपद के कम से कम 120 ग्राम पंचायतों में एक-एक मजबूत श्रमिक संगठन गठित कर प्रशिक्षित करने का कार्य किया जायेगा। श्रमिक संगठन के प्रमुख का विस्तृत विवरण मोबाइल नं0 के साथ मनरेगा प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा एवं श्रमिक संगठन को राज्य स्तरीय मनरेगा हेल्प लाइन व मनरेगा योजना के अधिकारियों के नं0 भी इस आशय से उपलब्ध कराये जायेंगे कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की बाधा को तत्काल विकास

खण्ड/जनपद मुख्यालय के साथ-साथ राज्य मुख्यालय (मनरेगा प्रकोष्ठ) को भी सूचित कर सकें।

5-नागरिक सामाजिक संगठन (सी0एस0ओ0) का चयन विज्ञापन के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा एवं इसका चयन निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा:-

1.	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।	सदस्य
3.	मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0	सदस्य
4.	निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।	सदस्य
5.	अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।	सदस्य-सचिव
6.	प्रमुख सचिव,वित्त विभाग द्वारा नामित विशेष स्तर के अधिकारी	सदस्य

6-इस संबंध में मनरेगा योजना के अन्तर्गत नागरिक सामाजिक संगठन (सी0एस0ओ0) के इम्पैनलमेंट के संबंध में E.O.I. (Expression oए Interest) संलग्न कर प्रेषित है। कृपया प्रश्नगत प्रकरण में तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Manoj 4.6.20

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या- /2020/693 (1)/अइतीस-7-2020-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(2) मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
(3) समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से

(विजय बहादुर वर्मा)
संयुक्त सचिव।